

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी के पश्चात् भुगतान हेतु मार्गदर्शिका।

गन्ना उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-42 दिनांक-13.01.2025 के द्वारा राज्य के गन्ना कृषकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 से ईख मूल्य की दर में तीनों प्रभेदों में 10 (दस) रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि किया गया है। वर्द्धित राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। संकल्प की कंडिका-3 में उल्लेखित है कि:-

“इस योजना का कार्यान्वयन के लिए गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईखायुक्त, बिहार योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। बजट आवंटन जिस जिले में चीनी मिल अवस्थित है, उस जिले के संबंधित समाहर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित समाहर्ता द्वारा वर्द्धित ईख मूल्य 10 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से अनुमान्य राशि गन्ना कृषकों को उनके बैंक खातों में सीधे अन्तरण किया जायेगा।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर के चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले बिहार के किसानों को यह लाभ प्राप्त होगा। इस राशि की विमुक्ति एवं वितरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान हेतु गन्ना उद्योग विभाग सक्षम होगा।”

दिनांक-15.01.2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक में इस योजनान्तर्गत गन्ना कृषकों को राशि के वितरण के संबंध में विभाग द्वारा अवगत कराया गया। विभाग द्वारा बताया गया कि गन्ना कृषकों को उक्त राशि का भुगतान, जिस क्षेत्र में चीनी मिल अवस्थित है, से संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से करने का वर्तमान निदेश है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि किसानों को याथाशीघ्र भुगतान हो सके इस संबंध में विभाग के स्तर पर विकल्प पर विचार किया जाय।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-16.01.2025 को सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधि एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गयी। उक्त बैठक में गन्ना कृषकों को राशि के वितरण हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। उक्त आलोक में विभागीय स्तर पर समीक्षोपरान्त मार्गदर्शिका निम्न प्रकार विहित की जाती है:-

1. योजना के कार्यान्वयन के लिए बजट आवंटन जिस जिले में चीनी मिलें अवस्थित है अथवा जिस जिले से राज्य के बाहर की वैसी चीनी मिलें, जो बिहार राज्य के गन्ना कृषकों से गन्ना क्रय करती है, के संबंधित ईख पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा वर्द्धित ईख मूल्य 10 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से अनुमान्य राशि गन्ना कृषकों को उनके बैंक खातों में जाँचोपरान्त CFMS द्वारा सीधे अन्तरण किया जायेगा।

3. चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को ईख की मात्रा पर भुगतान किये गये राशि के अनुरूप ही संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा गन्ना कृषकों को वर्द्धित ईख मूल्य 10 (दस) रु० प्रति क्विंटल की दर से अनुमान्य राशि अन्तरण किया जायेगा।

4. बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर के चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले बिहार के किसानों को यह लाभ प्राप्त होगा।

5. गन्ना कृषकों को भुगतान तीन चरणों में किया जायेगा।

6. चीनी मिलों द्वारा निम्नवत् निर्धारित समयसीमा के अन्दर संबंधित ईख पदाधिकारी को संलग्न विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराया जायेगा:-

मद	समयसीमा
चीनी मिल प्रारम्भ होने की तिथि से 31 दिसम्बर तक क्रय किया गया गन्ना	07 जनवरी तक
01 जनवरी से 28 फरवरी तक क्रय किया गया गन्ना	07 मार्च तक
01 मार्च से चीनी मिल बंद होने की तिथि तक क्रय किया गया गन्ना	चीनी मिल बंद होने के 7 दिनों के अन्दर

7. संबंधित ईख पदाधिकारी द्वारा चीनी मिलों से वांछित सूची प्राप्त कर प्राप्त सूचना की 1 प्रतिशत randomly जाँच करते हुए गन्ना कृषकों के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से सीधे अन्तरण किया जायेगा। जाँच एवं राशि अन्तरण करने की समयसीमा निम्नवत् होगी:-

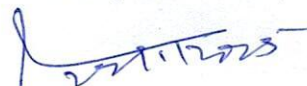
मद	समयसीमा
चीनी मिल प्रारम्भ होने की तिथि से 31 दिसम्बर तक क्रय किया गया गन्ना	14 जनवरी तक
01 जनवरी से 28 फरवरी तक क्रय किया गया गन्ना	14 मार्च तक
01 मार्च से चीनी मिल बंद होने की तिथि तक क्रय किया गया गन्ना	चीनी मिल से प्राप्त प्रतिवेदन के 7 दिनों के अन्दर

8. संबंधित समाहर्ता द्वारा योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।

9. चीनी मिलें मात्र बिहार राज्य के गन्ना कृषकों से क्रय किये गये ईख की मात्रा एवं संबंधित गन्ना कृषकों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में ईख पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

10. सभी चीनी मिलें इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित ईख पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जिसमें उल्लेखित हो कि चीनी मिल द्वारा बिहार राज्य के किसानों से ही गन्ना का क्रय किया गया है एवं विहित प्रपत्र में अंकित की गयी सूचना सही है।

11. ईख मूल्य के भुगतान में यदि चीनी मिल द्वारा गलत सूचना दी जाती है या कोई अनियमितता पायी जाती है तो इसकी सारी जबाबदेही संबंधित चीनी मिल प्रबंधन (महाप्रबंधक/दखलकार) की होगी तथा उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई की जायेगी।

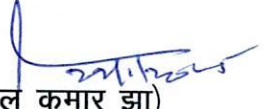


12. ईख पदाधिकारी द्वारा भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

13. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में संकल्प निर्गत होने में समयावधि बाधित होने के कारण मार्गदर्शिका में उल्लेखित समयसीमा शिथिल रहेगा।

14. मार्गदर्शिका प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-02/रेगु.-02-7005/2025 (E Comp. No.440851) के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-21.01.2025 को प्राप्त है।

अनुलग्नक:- विहित प्रपत्र।


(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

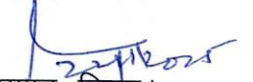
ज्ञापांक- 02/रेगु.-02-7005/2025-94/ईका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-सभी ईख पदाधिकारी/सभी विशेष ईख पदाधिकारी/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु.-02-7005/2025-94/ईका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-सभी संबंधित समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु.-02-7005/2025-94/ईका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त (मु०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

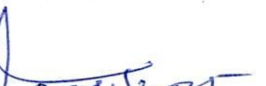
ज्ञापांक- 02/रेगु.-02-7005/2025-94/ईका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु.-02-7005/2025-94/ईका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु.-02-7005/2025-94/ईका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु-02-7005/2025- 94/इका /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2025
प्रतिलिपि-महाप्रबंधक, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें/सचिव, बिहार सुगर
मिल्स एसोसियेशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ईखायुक्त, बिहार।

विहित प्रपत्र

राज्य के गन्ना कृषकों को 10 रु० प्रति क्विंटल के दर से भुगतान हेतु विहित प्रपत्र

चीनी मिल का नाम एवं पता -

क्रय किये गये गन्ने की मात्रा जिसका भुगतान किया जा चुका है, से संबंधित प्रतिवेदन की तिथि

क्र०	गन्ना कृषक का नाम	पिता का नाम	किसान कोड	ग्राम	प्रखण्ड/जिला का नाम	क्रय किये गये गन्ने की मात्रा जिसका भुगतान किया जा चुका है (क्विंटल में)	चीनी मिल द्वारा भुगतान की गयी राशि (रु० में)	10 रु०/क्विंटल की दर से भुगतान ईश्वर (रुपये में) (कॉलम-7 x 10 रु०)	बैंक खाता संख्या	आई.एफ.एस. कोड	आधार संख्या	मोबाइल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						मिल प्रारंभ होने की तिथि से 31 दिसम्बर तक	01 जनवरी से 28 फरवरी तक	1 मार्च से मिल बंद होने की तिथि तक	मिल प्रारंभ होने की तिथि से 31 दिसम्बर तक	01 जनवरी से 28 फरवरी तक	1 मार्च से मिल बंद होने की तिथि तक	

प्रमाणित किया जाता है कि-

- विहित प्रपत्र में अंकित सूचना सही है।
- विवरण में अंकित सभी किसान बिहार के किसान है।

चीनी मिल के महाप्रबंधक/दखलकार/प्राधिकृत का नाम एवं हस्ताक्षर मोहर सहित

